*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–12/14 117 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक– 13/3/19

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0006–नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, विपत्र कोड सं०– 48-2217800010006 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹12.70 लाख (बारह लाख सत्तर हजार रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0006–नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, विपत्र कोड सं०– 48-2217800010006 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त कुल ₹12.70 लाख (बारह लाख सत्तर हजार रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध	कुल आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	0006.01.01– वेतन	9,50,000.00	9,50,000.00
2	0006.01.03– जीवन यापन भत्ता	92,000.00	92,000.00
3	0006.01.04– मकान किराया भत्ता	1,52,000.00	1,52,000.00
4	0006.01.05– परिवहन भत्ता	57,000.00	57,000.00
5	0006.01.06– चिकित्सा भत्ता	19,000.00	19,000.00
	कुल योग (क+ख)	**12,70,000.00**	**12,70,000.00**

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹12.70 लाख (बारह लाख सत्तर हजार रु०) मात्र।

2. **उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 4 में आवंटित राशि की निकासी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।** राशि का व्यय बिहार नगरपालिका प्रशासन

निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य मदों पर किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 257, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०– **48-2217800010006** मांग सं०–48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.2019 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यह्रत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटनादेश की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं निर्माण भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–12/14 117 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक–13.3.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं निर्माण भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

12.03.19

सरकार के विशेष सचिव।